



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2020

No. 37-HLA of 2020/86/16824.— The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 37–HLA of 2020

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2020. Short title.
2. In sub-section (1) of section 13 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 13 of Haryana Act 16 of 1994.
 - (i) in the existing proviso, for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
 - (ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided further that the provisions of this section shall not apply in the case of vacancy occurred in the office of the Mayor.”.
3. After section 37A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:- Insertion of sections 37B and 37C in Haryana Act 16 of 1994.

“37B. Motion of no-confidence against Mayor elected directly.— (1) A motion of no-confidence against the Mayor who has been elected directly in terms of sub-section (2) of section 4 shall be in writing and signed by not less than one-half of the total number of elected members along with a copy of the motion, which shall be delivered by any two of the members signing the notice to the concerned Divisional Commissioner:

Provided that for the purposes of calculating the number of the elected members, the Mayor shall be considered as an elected member.

(2) The Divisional Commissioner shall then convene a meeting of the elected members for the consideration of the motion to be held on the date and time appointed by him, by giving a clear notice in writing of not less than fourteen days:

Provided that members nominated under sub-section (3) of section 4 shall not be entitled to be present or vote in the meeting.

(3) As soon as the meeting convened under sub-section (2) has commenced, the Divisional Commissioner shall read to the elected members, the motion for the consideration and declare it to be open for discussion and he shall not speak on the merits of the motion or vote thereon.

(4) The motion shall be carried only when it has been passed by a majority of three-fourth of the total number of elected members and if such a motion is passed, the Mayor shall be deemed to have vacated his office.

(5) A copy of the minutes of the meeting along with a copy of the motion and the result of the voting thereon shall be forwarded forthwith by the Divisional Commissioner to the Government. The Government on receipt of the same, if no-confidence motion is passed, shall forward it to the State Election Commission for denotification and to conduct fresh elections for the post of the Mayor.

(6) In case motion is not passed, as referred to in sub-section (4) or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion of no-confidence against the same Mayor shall be entertained, unless a period of six months from the date of such voting or the date of such meeting, as the case may be, has expired.

(7) If no-confidence motion is passed against the Mayor, the Senior Deputy Mayor or the Deputy Mayor, as the case may be, shall exercise the powers and discharge the functions of the Mayor till the new Mayor enters his office.

“37C. Discharge of functions of Mayor in case of vacancy.— (1) When the office of the Mayor is vacant by reason of illness, death, resignation or otherwise, the Senior Deputy Mayor and in his absence, the Deputy Mayor shall act as the Mayor until the Mayor enters the office.

(2) If due to any exigency, the Mayor or the Senior Deputy Mayor or the Deputy Mayor is unable to exercise the powers and discharge the functions of the Mayor as provided in sub-section (1), the Divisional Commissioner shall exercise the powers and discharge the functions of the Mayor till the Mayor, Senior Deputy Mayor or Deputy Mayor, as the case may be, enters the office.”.

Amendment of section 164 of Haryana Act 16 of 1994.

4. In clause (c) of section 164 of the principal Act,-

- (i) in the second proviso, for the words “collector rate”, the words and sign “collector rate or any other concessional rate, as may be determined by the Government” shall be substituted;
- (ii) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
- (iii) after the second proviso, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that ownership rights in respect of shops and houses which are on lease or rent or license fee or tehbazari or otherwise for the last twenty years or more, may be transferred by way of sale, on such terms and conditions, including the rate at which such ownership rights shall be transferred, as specified in the policy framed in this behalf by the Government, from time to time.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Vide Notification No. leg.33/2018 dated 04.10.2018 issued by Law and Legislative Department, the provisions of direct election of Mayor by the eligible voters in the Municipal Corporations were made in the relevant Sections of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Further, Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 have also been amended vide Urban Local Bodies Department Notification No. 2/10/2018-R-II dated 14.11.2018 and accordingly elections of Mayors in five Corporations namely, Rohtak, Panipat, Karnal, Yamuna Nagar and Hisar have been held on dated 16.12.2018.
2. Earlier, before making the provisions of direct elections of Mayor by the eligible voters in Municipal Corporation Act, 1994, by amending the relevant sections of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the word 'Mayor' has been omitted as previously Mayor was elected from amongst the elected members of the Municipal Corporation. In this context, from Section 37 of the Act, where the provision for removal of Mayor, Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor by way of no confidence motion was provided the word "Mayor" has been omitted, due to which presently there is no provision under the Act to remove the "Mayor" by way of no confidence motion.
3. It has been realized that the provision of no confidence motion should be available under the Act as was available earlier, so that if the concerned Mayor does not work in the public interest and loose the confidence of three-fourth elected members of the concerned Municipal Corporation, no confidence motion can be carried out against the Mayor. Therefore, Section 37B is to be inserted in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 for making the provision to carry out the motion of No Confidence against the Mayor who has been elected directly by the eligible voters. Further, section 37C is also to be inserted in the Act for making the provision of discharge the functions of Mayor, when the office of Mayor is vacant, by the Senior Deputy Mayor or Deputy Mayor or in their absence by concerned Divisional Commissioner.
4. As per the second proviso to section 164(c) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the shops & houses of Municipal Corporations can only be transferred at collector rate to the occupiers who are in possession of the house & shop from last 20 years on lease/rent/ license fee/tehbazari or otherwise, subject to prior approval of such authority as may be prescribed.
5. It has been observed that the rates for sale of these Municipal shops & houses on lease/rent/license fee/tehbazari or otherwise are not commensurate with the affordability of these shopkeepers having small income, to purchase at collector rate by paying one time lump sum amount. Hence, the rates for sale of these shops/houses need to be linked with period of possession as well as size, so as to make it more realistic and viable for the occupiers to purchase it.
6. Further, due to nominal rent earned by Municipal Corporations which may be even less than the interest earned on the amounts of sale proceeds of these Municipal shops & houses. It has also been realized that a Policy should be framed by the Government by including terms & conditions which may vary for different classes and categories of persons for granting ownership rights in respect of shops & houses of Municipal Corporations which are on lease/rent/license fee/tehbazari or otherwise for the last twenty years.
7. Furthermore, in case of Municipal Councils and Committees, Rules have already been provided for disposal of Municipal sites/buildings (which includes Municipal shops) under Rule 8 (2) of the Haryana Management of Municipal Properties and State Property Rules, 2007.
8. In view of the above, an amendment is required to be made in second proviso to section 164(c) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 so as to ensure uniformity of such provisions in case of Municipal Corporations as well as to make Policy for sale of Municipal shops & houses to occupiers who are in possession of such shops & houses for last twenty years, on the rate determined by the Government.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 4th November, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

2020 का विधेयक संख्या 37 एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है ।
- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 13 का संशोधन । 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 की उप-धारा (1) में,—
- (i) विद्यमान परन्तुक में, अंत में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
“परन्तु यह और कि महापौर का पद रिक्त होने की दशा में इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे ।” ।
- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 37ख तथा 37ग का रखा जाना । 3. मूल अधिनियम की धारा 37क के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “37ख. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—(1) महापौर, जिसे धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है, के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिखित में होगा तथा प्रस्ताव की प्रति सहित निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जिसे सम्बद्ध मण्डल आयुक्त को नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा सौंपा जाएगा:
- परन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए, महापौर को एक निर्वाचित सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।
- (2) मण्डल आयुक्त कम से कम चौदह दिन का लिखित में स्पष्ट नोटिस देते हुए, प्रस्ताव पर विचार करने हेतु उस द्वारा नियत की गई तिथि तथा समय पर होने वाले निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा;
- परन्तु धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, बैठक में उपस्थित होने या मत देने के लिए हकदार नहीं होंगे ।
- (3) उप-धारा (2) के अधीन ज्यों ही बुलाई गई बैठक आरम्भ होती है, तो मण्डल आयुक्त, विचारण के लिए प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के लिए पढ़ेगा और इस पर विचार-विमर्श आरम्भ करने की घोषणा करेगा और वह प्रस्ताव की मैरिट पर या उस पर मतदान के लिए बातचीत नहीं करेगा ।
- (4) प्रस्ताव केवल तभी प्रभावी होगा यदि यह निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई के बहुमत द्वारा पारित किया गया है और यदि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो महापौर का पद रिक्त हुआ समझा जाएगा ।
- (5) मण्डल आयुक्त द्वारा सरकार को प्रस्ताव की प्रति के साथ-साथ बैठक के कार्यवृत्तों की प्रति तथा उस पर मतदान का परिणाम तुरंत भेजा जाएगा । सरकार, उसकी प्राप्ति पर, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे राज्य निर्वाचन आयोग को महापौर के पद को रद्द करने के लिए तथा उसका नए सिरे से निर्वाचन करवाने के लिए भेजेगी ।
- (6) यदि उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो सकी तो उसी महापौर के विरुद्ध अविश्वास का कोई पश्चातवर्ती प्रस्ताव तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे मतदान की तिथि या ऐसी बैठक की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से छह मास की अवधि समाप्त नहीं हो गई हो ।

(7) यदि महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वरिष्ठ उप महापौर या उप महापौर, जैसी भी स्थिति हो, तब तक महापौर की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक नया महापौर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

“37ग. रिक्त की दशा में महापौर के कृत्यों का निर्वहन.—(1) यदि महापौर का पद बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है, तो वरिष्ठ उप महापौर और उसकी अनुपस्थिति में उप महापौर, तब तक महापौर के रूप में कार्य करेगा जब तक महापौर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

(2) यदि किसी अत्यावश्यकता के कारण महापौर या वरिष्ठ उप महापौर या उप महापौर उप-धारा (1) में उपबन्धित महापौर की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, तो मण्डल आयुक्त, महापौर की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक महापौर, वरिष्ठ उप महापौर या उप महापौर, जैसी भी स्थिति हो, कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।” ।

4. मूल अधिनियम की धारा 164 के खण्ड (ग) में,—

- (i) द्वितीय परन्तुक में “कलक्टर दर” शब्दों के स्थान पर, “कलक्टर दर या कोई अन्य रियायती दर, जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) द्वितीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि ऐसे दुकान तथा घर, जो पिछले बीस वर्ष या से अधिक के लिए पट्टे या किराये पर या अनुज्ञति फीस या तहबजारी या अन्यथा से रहे हैं, के संबंध में स्वामित्व अधिकार सरकार द्वारा, समय—समय पर, इस निमित्त बनाई गई पालिसी में यथा विनिर्दिष्ट दर, जिस पर ऐसे स्वामित्व अधिकार अन्तरित किए जाएंगे, सहित ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर विक्रय के माध्यम से अन्तरित किए जा सकते हैं।” ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संशोधन ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज.33/2018, दिनांक 04.10.2018 द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं में नगर निगम के महापौर के चुनाव सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा करने का प्रावधान किया गया था। तदोपरान्त, शहरी स्थानीय विभाग की अधिसूचना संख्या 2/10/2018-आर-II, दिनांक 14.11.2018 द्वारा इस बारे हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुये पांच नगर निगमों नामतः रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और हिसार में महापौर के चुनाव सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा दिनांक 16.12.2018 को करवाये गये।
2. इससे पूर्व, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं में महापौर का चुनाव नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा करने का प्रावधान था तथा सीधे तौर पर महापौर का चुनाव करवाने के उद्देश्य से अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में संशोधन करते समय "महापौर" शब्द का लोप कर दिया गया था। इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 37 जहाँ पर महापौर, वरिष्ठ उप-महापौर व उप-महापौर को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने का प्रावधान था, में से 'महापौर' शब्द का भी लोप किया गया, जिसके कारण वर्तमान में महापौर को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।
3. यह महसूस किया गया है कि, पूर्व की भांति अधिनियम में सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित महापौर के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान होना चाहिये, ताकि महापौर यदि जनहित में कार्य न करे और सम्बन्धित नगर निगम के तीन-चौथाई निर्वाचित सदस्यों का विश्वास ना रख सके, तो महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। इसलिए, सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में धारा 37ख को जोड़ा जाना है। आगे, महापौर की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उप महापौर तथा इनकी अनुपस्थिति में उप महापौर या इन सभी की अनुपस्थिति में सम्बन्धित मण्डल आयुक्त द्वारा महापौर का कार्य करने हेतु प्रावधान करने के लिये धारा 37 ग को जोड़ा जाना है।
4. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 (ग) के दूसरे परन्तुक में वर्णित प्रावधान के अनुसार, नगर निगमों की दुकानों और घरों को केवल उन कब्जा धारकों को कलेक्टर दर पर हस्तान्तरित किया जा सकता है जो पिछले 20 वर्षों से पट्टा/किराया/लाईसेंस शुल्क/तहबाजारी या अन्यथा अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उस पर काबिज है।
5. यह देखा गया है कि पालिकाओं की लीज/किराया/लाईसेंस शुल्क/तहबाजारी से करें या अन्यथा दुकानों और मकानों की बिक्री के लिए कलेक्टर रेट के अनुसार एक मुश्त भुगतान करने की सामर्थ्य इन दुकानदारों की आय के अनुसार नहीं है। अतः इन दुकानों/मकानों की बिक्री के लिए मूल्य उस पर कब्जे की अवधि के साथ-साथ उसके आकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे खरीदने वालों के लिए इसे अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाया जा सके।
6. आगे, नगर निगमों द्वारा अर्जित मामूली किराये से आय, इन नगर पालिका की दुकानों और घरों की बिक्री से प्राप्त आय पर अर्जित ब्याज से भी कम हो सकता है यह भी महसूस किया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों को शामिल करके एक नीति बनाई जानी चाहिए जो विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों की श्रेणियों और नगर निगमों की दुकानों और घरों के सम्बन्ध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए अलग-अलग हो सकती है जो पट्टे/किराये/लाईसेंस शुल्क/तहबाजारी या अन्यथा के आधार पर पिछले बीस वर्षों के लिए है।
7. इसके अलावा, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के स्थलों/भवनों (जिसमें नगर पालिका की दुकाने शामिल हैं) के निपटान के लिए हरियाणा नगर पालिका सम्पत्ति व राज्य सम्पत्ति प्रबंधन नियम 2007 के नियम 8 (2) के अनुसार पहले से ही व्यवस्था की गई है।
8. उपरोक्त के मध्यनजर, हरियाणा नगर निगम, अधिनियम, 1994 की धारा 164 (ग) के दूसरे प्रावधान में नगर निगम की दुकान/मकान, सरकार द्वारा निर्धारित दरों या उपायुक्त दर पर कब्जाधारियों को बेचने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि नगर निगमों के मामले में इस तरह के प्रावधानों की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही पालिका की ऐसी दुकानों और मकानों की बिक्री के लिए जो पिछले बीस वर्षों से कब्जाधारियों के कब्जे में है की नीति सरकार द्वारा बनाई जा सके।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।